अनुसूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	प्रथम भाग —	1
	परीक्षा कक्षोन्नति नियम कक्षा 1 व 2 सामान्य नियम	
2.	द्वितीय भाग —	3
	परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कक्षा 3 से 12	
3.	तृतीय भाग —	17
	स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा नियम	
4.	चतुर्थ भाग —	20
	अष्टम बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी नियम	
5.	पंचम भाग —	30
	परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग	
6.	षष्ठम भाग —	34
	विषयवार अंक विभाजन	
	कक्षा 1 व 2	34
	कक्षा 3 से 5	35
	कक्षा 6 से 7	36
	कक्षा 8	39
	कक्षा 9	42
	कक्षा 10	44
	कक्षा 11	45
	कक्षा वरिष्ठोपाध्याय	48
7.	स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए प्रमाण पत्र प्रारूप	49
8.	मौखिक परीक्षा अंक विभाजन	50
9.	सप्तम भाग —	51
	कक्षावार कालांश विभाजन	
10.	अष्टम भाग —	52
	पाठ्यक्रम विभाजन	

प्रस्तावना

"भारतस्य प्रतिष्ठिते दे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा" "संस्कृतिः संस्कृताश्रिता" इन सूक्तियों के आधार पर विश्व की सम्पूर्ण संस्कृति संस्कृत भाषा से निर्गत हुई हैं, यह निर्विवाद सत्य है। संस्कृत भाषा को समझें, पढें और आम नागरिक के पास इसके सन्देश को पहुँचाये – यह हम सभी संस्कृत–सेवाकर्मियों का प्रथम कर्तव्य है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए संस्कृत भाषा को समृद्ध करना, सर्वत्र अध्ययन–अध्यापन का वातावरण बनाना एवं संस्कृत की संरक्षा के लिए संस्कृत सम्भाषण शिविरों का आयोजन कराना संस्कृतानुरागियों का धर्म है।

यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा दिव्या गीर्वाण वाणी सर्वभाषाजननी संस्कृत–भाषा के उत्थान हेतु सन् 1958 में पृथकरूप से संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई जो आज स्वतंत्र रूप से संस्कृत शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं उत्थान के लिए समर्पित है। राजस्थली की संस्कृत वैदुष्य परम्परा अदभुत है। सर्वकारीय सराहनीय प्रयासों के साथ विश्व में ख्यातिप्राप्त विद्वानों की जन्मस्थली रही राजस्थली जैसी प्रगति यदि संस्कृत भाषा के लिए अखिल भारत स्तर पर राष्ट्रीय गौरव के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित हो तो निश्चित ही संस्कृत भाषा का उन्नयन होगा इसमें सन्देह नहीं।

राजस्थान सरकार ने गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की है। इसमें संस्कृत भाषा आम जनता तक पहुँची है, यह हम सबके लिए गौरव की बात है।

इन्हीं संस्कृत विद्यालयों की परीक्षाएँ "समान परीक्षा योजना" के अन्तर्गत आयोजित होती हैं। समान परीक्षा योजना ने संस्कृत शिक्षा के आधार को सुदृढ़ करने के लिए निर्विवाद एवं सराहनीय कार्य किया है।

राज्य सरकार ने गत सत्रों में परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन किये हैं। पाठ्यक्रम भी परिवर्तित हुआ है। वे सभी नियम एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर वर्तमान सत्र में परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम एवं पाठ्यक्रम विभाजन की रूपरेखा की पुस्तिका तैयार की है।

प्रस्तुत परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम विवरणिका विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन की सुगमता के लिए मार्गदर्शन करने की यत किन्चित उपयोगिता प्रदान कर सके इसी सदाशा के साथ प्रस्तुत है।

सूरजमल गौतम
अध्यक्ष
समान परीक्षा योजना
संस्कृत शिक्षा, जयपुर संभाग
जयपुर

राजस्थान — सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— निसंशि/शैक्ष.6/पं.415/24875 दिनांक 29.07.2006

आदेश परिपत्र

अध्यक्ष,
समान परीक्षा योजना,
संस्कृत शिक्षा,
जयपुर संभाग, जयपुर

विषय :— परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम (कक्षा 1 से 12 तक) जुलाई 2006 से प्रभावी करने एवं अनुमोदन करने के क्रम में।

प्रसंग :— आपका पत्र क्रमांक 11851 दिनांक 20.05.2006

प्रसंगोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम (कक्षा 1 से 12 तक) की समीक्षा कर एवं आवश्यक संशोधनों का समावेश कर इन नियमों को जुलाई 2006 से प्रभावी करने लिए अनुमोदन किया जाता है।

अतः उक्त नियमों को प्रकाशित कराने की कार्यवाही करावें।

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयुपर

क्रमांक :— सपयो/जसंज/पाठ्यक्रम/पं.2/11943 दिनांक 10.08.2006

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा संभागीय कार्यालय, जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को तत्काल समस्त राजकीय/अराजकीय वरिष्ठ उपाध्याय/प्रविशेका/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों को प्रसारित कर इन्हीं नियमों के अनुसरण में परीक्षा सम्बन्धित कार्य निष्पादित करावें।
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय/अराजकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्कृत विद्यालय, राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष
समान परीक्षा योजना
संस्कृत शिक्षा, जयपुर संभाग
जयपुर

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम (जुलाई, 2006 से प्रभावी)

क्षेत्र :

ये नियम ''परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम'' कहलायेंगे तथा संस्कृत शिक्षा राजस्थान के सभी राजकीय/अराजकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 7 तक एवं कक्षा 9 तथा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा कक्षा 8 व 10 एवं 12 की गृह परीक्षाओं पर लागू होंगे। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा नियम पृथक् से भाग चतुर्थ में वर्णित है।

प्रथम भाग

परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कक्षा 1 व 2

1. सामान्य नियम :–

परीक्षा प्रवेश योग्यता–
(नियमित परीक्षाओं के लिये)

(अ) कक्षा–प्रथम के सन्दर्भ में वार्षिक परीक्षा (मौखिक एवं लिखित) में वे ही विद्यार्थी सम्मलित होंगे, जिन्होने विद्यालय मे प्रवेश की तिथि से कुल कार्य दिवसों की 50 प्रतिशत अपनी उपस्थिति अर्जित की हो तथा उस कक्षा के लिए निर्धारित दो तिहाई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। पाठ्यक्रम पूरा करने का आधार सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र ही होगा, इससे यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों से अनुपस्थित रहा है तो इस कक्षा के लिए संस्था प्रधान उपस्थिति में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे सकेंगे।

(ब) कक्षा–2 के सन्दर्भ में वार्षिक परीक्षा में वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट होंगे जो नियमित छात्र के रू ा में विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि (विभागीय पंचांग के अनुसार) से 50 प्रतिशत कार्य दिवसों में उपस्थित रहे हो तथा उस कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो। दो तिहाई पाठ्यक्रम पूर्ण करने का आधार सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र ही होगा। इससे यदि संस्था प्रधान सन्तुष्ट है कि विद्यार्थी रूग्णावस्था अथवा समुचित कारणों से अनुपस्थित रहा है तो इस

कक्षा के लिए संस्था प्रधान उपस्थिति में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे सकेंगे।

(स) विभागीय पंचांगानुसार कक्षा 1 व 2 में नामांकन लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रवेश की कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी।

2. विद्यालय शुल्क :–

कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों से छात्रनिधि (बॉयज़ फण्ड) एवं किसी प्रकार का शुल्क (जैसे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क) नहीं ली जायेगी।

3. परीक्षाएँ :–

प्रतिवर्ष नियमित अन्तर के साथ कक्षा 1 व 2 के प्रत्येक विषय की अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा विभागीय पंचांग में प्रदत्त तिथियों में सम्पन्न होगी। परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांको का योग कर तैयार किया जायेगा।

4. उत्तीर्णता नियम :–

कक्षा 1 व 2 में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे। जो छात्र किसी कारणवश वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाते है, उनके लिए अन्य कक्षाओं के लिए होने वाले पूरक परीक्षाओं के साथ परीक्षा व्यवस्था की जायेगी। परीक्षा के आधार पर विषय विशेष में कमजोर रहने वाले परीक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनके शैक्षिक स्तर को सामान्य बालकों के शैक्षिक स्तर तक लाया जायेगा।

5. श्रेणी निर्धारण :–

(अ) बालकों के प्रगति पत्र में केवल हिन्दी, संस्कृत, अग्रेंजी, गणित विषयों के प्राप्तांक अंकित किये जायेंगे। इन्हीं चार विषयों के प्राप्तांको के योग के आधार पर श्रेणी निर्धारण किया जायेगा।

(ब) प्रगति पत्र में अन्य विषयों का केवल ए,बी,सी एवं डी ग्रेडिंग अंकित किया जायेगा।

6. मूल्यांकन योजना :–

मूल्यांकन संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार किया जायेगा।

★★★

द्वितीय भाग

परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कक्षा 3 से 12

(क) परीक्षा प्रवेश योग्यता (नियमित छात्रों के लिए) :–

(1) कक्षा 3 से 7 व 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही नियमित विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होनें किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।

(2) कक्षा 1 से 8 तक सामान्य शिक्षा से स्थानान्तरित छात्र सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश का पात्र है। कक्षा 9 एवं 11 में सामान्य शिक्षा से, सत्र के मध्य स्थानान्तरित होकर आने वाला छात्र प्रवेश का पात्र होगा। उसकी पूर्व संस्था की उपस्थिति एवं परख/परीक्षा में प्राप्तांकों को समाकलन करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। सामान्य शिक्षा के छात्र के तृतीय भाषा के अंको को आनुपातिक रूप से बढाकर संस्कृत विषय में समायोजित किया जायेगा। कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नियम मान्य होंगे।

(3) कक्षा 3 से 5 तक विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा।

(4) कक्षा 6 से 7 तथा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा जो कम से कम दो लिखित सामयिक परख एवं एक लिखित कार्य जाँच अथवा एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो और जिस परख/परीक्षा में वह सम्मिलित नहीं हुआ हो उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया गया हो।

(5) बोर्ड की प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के एवं अष्टम बोर्ड परीक्षा में विभागीय नियम लागू होंगे।

(ख) विद्यालय प्रवेश योग्यता :–

(1) यदि कोई छात्र--छात्रा बोर्ड की परीक्षा में लगातार दो वर्ष तक अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे विद्यालय में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह नियम कक्षा 8,10 तथा 12 पर लागू होगा।

(2) विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा कहीं अध्ययन न करने सम्बन्धी प्रस्तुत शपथ पत्र या नवीन मान्यता (कक्षा 1 से 5) नियमों के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित शाला अध्यापकों की समिति द्वारा विद्यार्थी की योग्यता की जाँच के उपरान्त कक्षा 3 से 6 तक में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त जाँच अभिलेख एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा। इसकी सूचना संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियन्त्रण अधिकारी को अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक भेजनी अनिवार्य होगी।

(3) अभिभावक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में दर्ज जन्म दिनांक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नोटेरीपब्लिक / नगरनिगम / परिषद / पालिका / ग्राम पंचायत के अभिलेख के आधार पर अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।

(4) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षाकर्मी केन्द्रों एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य शैक्षणिक अभिकरणों द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा से अगली कक्षा में कक्षा 6 तक नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

विद्यालय शुल्क :–

(1) कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालय में प्रवेश / शिक्षण / छात्र निधि शुल्कः

(क) कक्षा 1 से 8 तक किसी भी प्रकार का शुल्क (जैसे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क) नहीं लिया जायेगा।

(ख) कक्षा 4 से 5 के छात्रों से 5 रू. प्रतिमाह व कक्षा 6 से 8 तक छात्रों से 10 रू. प्रतिमाह प्रतिछात्र छात्रनिधि (बॉयज़ फण्ड) की राशि शाला द्वारा ली जायेगी।

(ग) कक्षा 1 के 3 तक के छात्रों से छात्रनिधि (बॉयज़ फण्ड) की कोई राशि नहीं ली जायेगी।

(घ) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समस्त छात्राओं को छात्रनिधि शुल्क देने से छूट रहेगी।

(ड.) छात्रनिधि (बॉयज़ फण्ड) की राशि का उपयोग स्कूल प्रबन्ध समिति (एस.एम.सी.) द्वारा स्थानीय रूप से शिक्षा संबंधी सुविधाओं हेतु किया जायेगा।

(च) यदि कोई दानदाता किसी विद्यालय के कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए छात्रनिधि की संगणित सम्पूर्ण वार्षिक राशि दान के रूप में देने को तैयार हो तो उस शाला के किसी भी छात्र से उस वर्ष छात्रनिधि नहीं ली जायेगी।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों से छात्रनिधि की राशि 50 प्रतिशत ली जायेगी।

(2) कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, टी.सी. एवं छात्रनिधि शुल्क :–

कक्षा	शिक्षण शुल्क (रूपयों में)	छात्रनिधि (रूपयों में)
9 से 10	**प्रतिमास**	**प्रतिवर्ष**
बिना आयकरदाता	15.00	200.00
30,000 रू. तक आयकरदाता	30.00	200.00
30,000 रू. से अधिक आयकरदाता	50.00	200.00
समाजोपयोगी उत्पादन कार्य (एस.यू.पी.डब्लू) शुल्क	—	50.00
कक्षा 11 से 12		
बिना आयकरदाता	30.00	300.00
30,000 रू. तक आयकरदाता	60.00	300.00

30,000 रू. से अधिक आयकरदाता	100.00	300.00
टंकण एवं विज्ञान शुल्क	—	100.00

राजकीय निधि मद

प्रवेश शुल्क — कक्षा 9 से 12 तक	—	10.00
टी.सी. शुल्क — कक्षा 9 से 12 तक	—	05.00
पुनः प्रवेश शुल्क — कक्षा 9 से 12 तक	—	10.00

निर्देश : –

(1) कक्षा 9 से 12 तक की छात्राऐं शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगी।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के छात्र निधि शुल्क में 50 प्रतिशत छूट सम्बन्धी प्रावधान पूर्ववत लागू होंगे।

(3) जब कोई छात्र एक राजकीय संस्था से दूसरी राजकीय संस्था में स्थानान्तरित होता है तो पहली संस्था में पढ़ने की अवधि का शिक्षण शुल्क उससे वसूल नहीं किया जायेगा। (यदि उक्त तथ्य उसके स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर उस संस्था प्रधान द्वारा अंकित किया गया है)।

(4) विकलांग छात्र कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।

(5) विधवा महिलाओं के बच्चे वरिष्ठ उपाध्याय स्तर तक शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।

(7) ऐसे राज्य कर्मचारी जो आयकर दाता नहीं है, उनकी सन्तानों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

टिप्पणी :–

(अ) राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में वह स्वयं, पत्नी, वैध अथवा अवैध संतानें, भाई और बहिने जो राज्य कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं, सम्मिलित होते हैं। राज्य कर्मचारियों की पुत्रियाँ तथा बहिनें अपने विवाह के पहले तक ही इस सुविधा की अधिकारिणी होंगी, विवाह के बाद नहीं।

(ब) केवल राजस्थान सरकार के कर्मचारी ही इस शुल्क मुक्ति के अधिकारी होंगे।

(8) एच.आई.वी./एड्स रोग से पीड़ित माता–पिता के आश्रित पुत्र–पुत्रियों को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

(ग) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता :–

(अ) उपस्थिति गणना :–

(1) कक्षा 3 से 12 तक के नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की गणना प्रवेश की तिथि (विभागीय पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तक) से परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक की जायेगी।

(2) कक्षा 3 से 7 तक 9 व 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन बाद से की जायेगी।

(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों की उपस्थिति बोर्ड द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम (विलम्ब से घोषित होने पर) घोषित होने के सात दिन बाद अगले कार्यदिवस से की जायेगी।

(ब) उपस्थिति की अनिवार्यता :–

वार्षिक परीक्षा मे सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों में से निम्नानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य है :–

(1) कक्षा 3 से कक्षा 5 तक 60 प्रतिशत

(2) कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 70 प्रतिशत

(3) कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 75 प्रतिशत (बोर्ड नियमानुसार)

(स) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति :–

यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल कार्य दिवसों में निम्नानुसार उपस्थिति से मुक्ति देकर वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी :

(1)	कक्षा 3 से कक्षा 5 तक	15 प्रतिशत
(2)	कक्षा 6 से कक्षा 8 तक	10 प्रतिशत
(3)	कक्षा 9 एवं कक्षा 11	30 मीटिंग (15 दिन)
(4)	कक्षा 10 एंव 12	बोर्ड के नियमानुसार

नोट :– रूग्णावस्था के प्रकरणों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थी की न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में बैठने का अधिकारी होगा।

(घ) परीक्षा तैयारी अवकाश :–

(1) विभागीय पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का कक्षा 3 से 8 तथा कक्षा 9 व 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा। परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था का कार्य पूरा करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

(2) कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश दिया जायेगा। जिसमें सात दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस प्रकार से किया जाये जिससे परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सके।

(1) कक्षा 3 से कक्षा 5 तक 60 प्रतिशत

(2) कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 70 प्रतिशत

(3) कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 75 प्रतिशत (बोर्ड नियमानुसार)

(स) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति :–

यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल कार्य दिवसों में निम्नानुसार उपस्थिति से मुक्ति देकर वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी :

(1)	कक्षा 3 से कक्षा 5 तक	15 प्रतिशत
(2)	कक्षा 6 से कक्षा 8 तक	10 प्रतिशत
(3)	कक्षा 9 एवं कक्षा 11	30 मीटिंग (15 दिन)
(4)	कक्षा 10 एंव 12	बोर्ड के नियमानुसार

नोट :– रूग्णावस्था के प्रकरणों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थी की न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में बैठने का अधिकारी होगा।

(घ) परीक्षा तैयारी अवकाश :–

(1) विभागीय पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का कक्षा 3 से 8 तथा कक्षा 9 व 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा। परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था का कार्य पूरा करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

(2) कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश दिया जायेगा। जिसमें सात दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस प्रकार से किया जाये जिससे परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सके।

(3) जिन संस्कृत विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है वहां बोर्ड परीक्षा अवधि में कक्षा 6, 7 एवं 8 का अध्यापन कार्य यथावत जारी रहेगा। इस कार्य हेतु समयावधि 11.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रहेगी तथा कक्षा 9 व 11 के लिए इन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के प्रारम्भ से लेकर इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व के दिवस तक परीक्षा तैयारी दिवस माने जायेंगे।

(ड.) प्रश्न पत्र व्यवस्था :–

(1) सामायिक परखों में प्रश्न पत्र तैयार कर संस्था प्रधान को सुपुर्द करने के पश्चात् इन्हें लिखवाया अथवा श्याम पट्ट पर अंकित करवाया जा सकता हैं प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जायेंगे।

(2) किसी परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रश्न पत्र कार्बन पेपर से सुपाठ्य हस्तलिखित अथवा टंकित करवाये जायेंगे। 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर प्रश्न पत्र मुद्रित/चक्रांकित करवाये जायेंगे।

(3) कक्षा 5 से 7 तथा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा/अर्द्धवार्षिक परीक्षा/पूरक परीक्षा/पुनः परीक्षा एवं कक्षा 8,10 तथा 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत प्रश्न पत्रों का मुद्रण होता है तो वे प्रश्न पत्र ही उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए प्रयोग में लिये जायेंगे।

(4) निजी शिक्षण संस्थाओं को भी समान परीक्षा योजना, संस्कृत शिक्षा से प्रश्न पत्र लेकर उनसे परीक्षा आयोजित करवाना आवश्यक होगा।

(च) सामयिक परखें एवं परीक्षाएँ :–

(1) संबंधित सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के प्रत्येक विषय की तीन सामयिक परखें होगी। कक्षा 3 से 8 तक दो सामयिक परखें एवं दो बार लिखित गृह कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

(2) सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार दो परीक्षाएँ आयोजित होगी :–

(क) अर्द्धवार्षिक परीक्षा — कक्षा 1 से 12 तक

(ख) वार्षिक परीक्षा — कक्षा 1 से 7 तथा 9 व 11

नोट : कक्षा 1 से 12 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 1 से 7 तथा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित होंगी।

(छ) परीक्षा परिणाम की घोषणा :–

संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर दिये जायें तथा विभागीय पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर सूचना पट्ट पर प्रसारित करने के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रगति पत्र अभिभावकों को भेजे जायेंगे।

(ज) पूर्णांक :–

(अ) कक्षा 1 से 12 हेतु विभिन्न परखों एवं परीक्षाओं के पूर्णांक संलग्न सारणी के अनुसार होंगे। (परिशिष्ट ख, ग, अ, ब, स, द)

(ब) बोर्ड परीक्षाओं हेतु पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के निर्देशानुसार एवं अष्टम बोर्ड के पूर्णांक विभागीय नियमानुसार निर्धारित होंगे।

नोट : कक्षा 8 व 10 एवं 12 हेतु अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पूर्णांक सम्बद्ध बोर्ड के पेटर्न (नमूने) के अनुसार होंगे।

2. उत्तीर्णता नियम

(क) (अ) विद्यार्थियों को उनकी तीनों सामयिक परखों (जिन कक्षाओं में तृतीय जांच के स्थान पर लिखित गृह कार्य के मूल्यांकन की व्यवस्था है उस सहित) अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा।

(ब) कक्षा 3 से 7 तथा 9 व 11 में वही विद्यार्थी उत्तीर्ण एवं कक्षोन्नति का अधिकारी माना जायेगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किये हों परन्तु वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(स) कक्षा 11 के जिन विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षायें होती है उनमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक देय नहीं होंगे।

(द) तीनों परखों का योग, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

नोट : राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेशिका परीक्षा की मुख्य परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित करने के कारण विद्यार्थी के नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व कोई जो परख/परीक्षाऐं हो चुकी हो तो ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष परख एवं परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा।

(ख) रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना :–

(1) यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा 3 से 7 तथा 9 व 11) अपनी रूग्णावस्था /अन्य युक्तियुक्त कारण से किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो उसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र, युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) बोर्ड के परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित किया जाऐगा, जिन्होंने कम से कम दो सामयिक परखें तथा वार्षिक परीक्षा अथवा एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

(ग) कृपांक :–

(1) कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक होगा।

(2) कक्षा 9 एवं 11 में विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते हैं यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम दो प्रतिशत कृपांक दिये जा सकेंगे।

(3) कक्षा 3 से 7 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 6 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते है। और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो उसे संबंधित विषयों में उसके पूर्णांकों के अधिकतम 3 प्रतिशत कृपांक किसी भी अनुपात में दिये जा सकेंगे।

(4) रूग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में उत्तीर्ण होने पर ही छात्र अन्य विषयों में कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(घ) श्रेणी निर्धारण नियम :–

(1) 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी मानी जायेगी।

(2) 48 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी मानी जायेगी।

(3) 36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी मानी जायेगी।

(4) 75 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेगी।

(5) अगर कोई विद्यार्थी रूग्ण रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसका श्रेणी/स्थान निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगा :

विद्यार्थी जिन परखों/परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांको के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी/कक्षा में स्थान निर्धारण किया जायेगा।

(6) श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद् योग के आधार पर ही होगा अर्थात् निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोड़े जायेंगे।

(7) पूरक परीक्षा में विषय के न्यूनतम प्राप्तांक जोड़कर ही प्रतिशत अंक निर्धारित किये जायें तथा श्रेणी के स्थान पर पूरक अंकित किया जाये। कक्षा 1 से 5 तक समाजयोपयोगी कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, में ग्रेडिंग प्रणाली का संलग्न परिशिष्ट क,ख के अनुसार अंक तालिका में समावेश किया जाये।

3. पूरक / पुनः परीक्षा नियम :–

(क) पूरक परीक्षा नियम :–

(अ) पात्रता :–

(1) कक्षा 3 से 5 तक में अध्ययनरत छात्र जिन विषयों में 36 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, उन सभी विषयों में पूरक योग्य घोषित किया जाए। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण रहने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जायेगा।

(2) कक्षा 6, 7, 9 एवं 11 में पूरक परीक्षा अधिकतम दो विषयों में दी जा सकेगी।

(3) कक्षा 6 व 7 में पूरक विषय में वार्षिक परीक्षा के पूर्णांकों का 20 प्रतिशत एवं कक्षा 9 व 11 में 25 प्रतिशत अक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ब) परीक्षा आयोजन :–

परीक्षा विभागीय पंचाग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोजित होगी।

(स) पूर्णांक :–

प्रत्येक विषय का पूर्णांक वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा।

(द) परीक्षा उत्तीर्णता :–

(1) वही परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में अलग–अलग 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होंगे।

(2) पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य) परीक्षा परीणाम :–

विभागीय पंचांग मे निर्दिष्ट दिनांक पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(र) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) :–

(1)	कक्षा 3 से 5 तक	—	5.00 रूपये
(2)	कक्षा 6,7,9 व 11 तक	—	10.00 रूपये

नोट :– समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्धित शुल्क ग्राह्य होगा।

(ख) पुनः परीक्षा (नियमित विद्यार्थियों हेतु) :–

(अ) पात्रता :–

कक्षा 6 व 7 तथा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकने की स्थिति में रूग्णता प्रमाण पत्र/युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है तो वह उन विषय/विषयों में पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। पूरक परीक्षा के साथ पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा तथा उन विषयों में 36 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। पुनः परीक्षा में कृपांक देय नहीं होंगे।

(ब) परीक्षा आयोजन :–

पुनः परीक्षा उन्हीं तिथियों में होगी, जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोजित होनी होगी।

(स) पुनः परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) :–

कक्षा 3 से 5 तक	—	5.00 रूपये
कक्षा 6,7,9 तथा 11	—	10.00 रूपये

नोट :– समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्धित शुल्क ग्राह्य होगा।

(द) परीक्षा परिणाम :–

सामायिक परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योगकर परीक्षा फल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है उन विषयों में वह कृपांक पाने का अधिकारी नहीं होगा। शेष विषयों में उत्तीर्णता नियम 2(ग) के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।

4. अन्य नियम :–

(अ) उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा :–

(1) प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें विद्यार्थियों को दिखाई जायेगी।

(2) सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जायेगा।

(3) परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रेकार्ड का निरीक्षण किया जावेगा। गलत मूल्यांकन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) पुनरावलोकन एवं अन्य नियम :–

(1) कोई विद्यार्थी यदि अपनी वार्षिक परीक्षा में रूग्णता/युक्तियुक्त कारण से सम्मिलित न हुआ हो तो उसे अपना रूग्णता प्रमाण–पत्र/युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना–पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।

(2) परीक्षा परिणाम घोषित होते ही परीक्षा परिणाम की एक प्रति परिणाम घोषित करने के दिन या अगले दिन नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(3) विद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में परीक्षार्थियों को उनकी अंकतालिका देनी होगी।

(4) परीक्षाफल पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना–पत्र निर्धारित शुल्क रूपये 10/– प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात सात

दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

(5) पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित जाँच सम्मिलित होंगी :—

(क) सभी प्रश्न जाँचे गये है या नहीं ?
(ख) अंको का योग सही है या नहीं ?

(6) पुनरावलोकन में कोई त्रुटि पाये जाने अथवा नहीं पाये जाने पर भी पुनरावलोकन शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।

(7) ऐसे पुनरावलोकन के सभी प्रकरणों का निस्तारण पूरक परीक्षा के पूर्व ही करना होगा।

(8) यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच मे किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहाँ सामयिक परख प्रयुक्त नहीं होती है तो ऐसे विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा।

(9) प्रगति पत्र की दूसरी प्रति पाँच रूपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। जिस पर **"द्वितीय प्रति"** अंकित करना जरूरी होगा तथा उसका स्थायी अभिलेख मे इन्द्राज भी किया जायेगा।

(10) कोई भी छात्र किसी अन्य छात्र की जाँची हुई सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देखना चाहे तो उसके लिए संस्था प्रधान से लिखित अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 5.00 रूपये की दर से शुल्क जमा कराकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तर पुस्तिका को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरूद्व स्थानीय थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर प्रतिलिपि अपने नियन्त्रण अधिकारी को देगा।

★★★

तृतीय भाग

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा नियम

(1) स्वयंपाठी के रूप में बैठनें वाले परीक्षार्थी ने पूर्व में किसी विद्यालय में अध्ययन किया है तो वहां के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करेगा।

(2) स्वयंपाठी के रूप में बैठने वाले परीक्षार्थी ने कहीं भी अध्ययन नहीं किया है तो किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसने किसी मान्यता प्राप्त अथवा राजकीय संस्था में अध्ययन नहीं किया है का उल्लेख होगा। इस शपथ पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि परीक्षार्थी अवयस्क है तो उसके वैधानिक संरक्षक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। किसी प्रकार के तथ्य छिपाने की स्थिति में ऐसे परीक्षार्थी या उसके वैधानिक संरक्षक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) जिस कक्षा मे विद्यार्थी ने अन्तिम बार नियमित अध्ययन किया है और वह जिस कक्षा में स्वंयपाठी के रूप में बैठना चाहता है उसके बीच इतनी अवधि का अन्तर जरूर होना चाहिए कि यदि वह नियमित रूप से विद्यालय में अध्ययन करता तो उस कक्षा में होता, जिसकी परीक्षा वह देना चाहता है।

(4) स्वयंपाठी परीक्षार्थी यदि सेवारत कर्मचारी हो तो उसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह उस कार्यालय, जहां वह कार्यरत है, से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वह वेतन भोगी कर्मचारी है तथा उसमें जन्म तिथि का भी उल्लेख हो।

(5) बालक–बालिकायें और कर्मचारी स्वंयपाठी परीक्षार्थी के रूप में कक्षा 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संस्कृत शिक्षा से प्राप्त करेगें एवं संबंधित अधिकारी ऐसे परीक्षार्थियों का किसी भी उच्च प्राथमिक/प्रवेशिका विद्यालय में केन्द्र निर्धारित करेगें।

(6) कक्षा 6 व 7 की परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के संबंधित संभाग के किसी राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधान (जो उच्च प्राथमिक स्तर से कम नहीं हो) को 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगे। संस्था प्रधान ऐसे आवेदन पत्र 10 दिन की अवधि में संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। इन परीक्षार्थियों की परीक्षा प्रवेशानुमति एवं परीक्षा केन्द्र निर्धारण संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी द्वारा 31 जनवरी तक किया जावेगा।

नोट :– परीक्षा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी। अतः इस संबंध में प्रश्न पत्र निर्माण हेतु छात्र संख्या की सूचना संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संयोजक, समान परीक्षा योजना केन्द्र को 15 जनवरी तक देंगे।

(7) बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में भी परीक्षा देने की सुविधा होगी परन्तु बालकों को बालिका विद्यालयों में परीक्षा देने की सुविधा नहीं होगी।

(8) स्वयंपाठी परीक्षार्थी को चाहिए कि वह अपना परीक्षा आवेदन पत्र 1 दिसम्बर तक संबंधित अग्रेषण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। {देखें बिन्दू संख्या (5) व (6)}

(9) अग्रेषण अधिकारी स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की जांच करेंगे तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

(10) स्वयंपाठी परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित अग्रेषण अधिकारी को जमा करायेगें। कक्षा 6 व 7 हेतु परीक्षा शुल्क 50.00 रूपये है।

(11) स्वयंपाठी आशार्थियों से उपर्युक्त नियम (10) के अनुसार शुल्क प्राप्त करके संस्था प्रधान अपने विद्यालय में इनकी परीक्षा वार्षिक परीक्षा के साथ लेने का प्रबन्ध करेंगे। निर्देशित केन्द्राध्यक्ष/प्रधानाध्यापक इनका परीक्षा

परिणाम घोषित करेंगे तथा उनकों अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो प्रदान करेगें (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

(12) स्वयंपाठी परीक्षार्थी भी पूरक परीक्षा/पुनः परीक्षा में बैठ सकेगें।

(13) कक्षा 6 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा विद्यार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा, बशर्ते वह निर्धारित आयु सीमा में हो।

नोटः– आवेदन प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित विद्यार्थी अग्रेषण अधिकारी/अनुज्ञा प्रदानकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पत्र पर अपना आवक्ष चित्र (पासपोर्ट साइज फोटो) लगाकर प्रमाणित करवा लें। परीक्षा के समय नियमित रूप से हस्ताक्षर करवाकर इस प्रमाणित फोटों से स्वयंपाठी परीक्षार्थी की जाँच की जायेगी। "यह आवेदन पत्र नियमित छात्र के प्रवेश के आवेदन पत्र की तरह ही भविष्य के सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखें जावेंगे। यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी नियम (13) के तहत कक्षा–9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार नियमित प्रवेश दिया जाये (यदि वह कक्षा–12 तक की निर्धारित आयु सीमा में आते हों)।"

★★★

चतुर्थ भाग

अष्टम बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी नियम

एज्यूकेशन कोड/शिक्षा विभाग के अध्याय–8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों/परिवर्धनों के अतिक्रमण करते हुए शैक्षिक सत्र 2006–07 से कक्षा अष्टम बोर्ड परीक्षा के लिए निम्न नियम प्रकाशित किए जाते हैं :–

1. क्षेत्र –

ये नियम अष्टम बोर्ड परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाऐंगे तथा राजस्थान के सभी राजकीय, अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

2. सामान्य नियम –

2.1 परीक्षा प्रवेश योग्यता (पात्रता)

नियमित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में वे ही परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे जिन्होंने किसी राजकीय, अनुदानित, मान्यता प्राप्त (संस्कृत) शिक्षण संस्था से सत्र पर्यन्त नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया हो। जिन छात्रों ने स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा देकर, परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे छात्रों को नियमित छात्र के रूप में किसी राजकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त/अनुदानित विद्यालयों में प्रवेश देते समय कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 14, 15 व 16 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो। आयु की गणना हेतु संबंधित सत्र की 1 जुलाई को आधार माना जावेगा।

स्वयंपाठी विद्यार्थियों की पात्रता के लिए 2.14 देखें।

2.2 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता

2.2.1 उपस्थिति गणना :–

(अ) कक्षा 8 में नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से अथवा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश की तिथि (विभागीय पंचांग के अनुरूप अन्तिम तिथि तक) से वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 दिन पूर्व तक की जाएगी।

(ब) कक्षा 7 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण एवं कक्षा 8 की पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणनापूरक

परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात् से की जायेगी।

2.2.2 **उपस्थिति की अनिवार्यता** – वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य नियमित विद्यार्थियों की विद्यालय के कुल कार्य दिवसों की 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

2.2.3 **स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति** – यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण/युक्तियुक्त कारण विशेष से अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल कार्य दिवसों के दस प्रतिशत न्यूनता के आधार पर विद्यार्थियों को मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

2.3 परीक्षा तैयारी अवकाथ –

2.3.1 विभागीय पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 8 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक दिन एवं वार्षिक परीक्षा के लिए दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जायेगा परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय यथावत खुला रहेगा। अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर परीक्षा अभिलेख एवं परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कार्य सम्पन्न करेंगे।

2.3.2 परीक्षा तैयारी अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

2.3.3 विद्यालयों में कक्षा 8वीं के अतिरिक्त शेष समस्त कक्षाओं का अध्यापन यथावत जारी रहेगा।

2.4 प्रश्न पत्र व्यवस्था :–

2.4.1 वार्षिक/पूरक अष्टम बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन, मुद्रण एवं वितरण का कार्य समान परीक्षा योजना द्वारा किया जायेगा।

2.4.2 कक्षा 8वीं वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी एवं संस्कृत के सभी विषयों का प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 होगा (भाग अ 20 अंक व भाग ब 60 अंक) तथा कला शिक्षा, कार्यानुभव व स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों का प्रश्न पत्र का पूर्णांक 40 अंक (भाग अ 10 अंक व भाग ब 30 अंक) का होगा।

2.4.3 कक्षा 8वीं वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु सभी विषयों के प्रश्न पत्रों का परीक्षा समय 2 घण्टा 30 मिनट रहेगा। (भाग अ 30 मिनट व भाग ब 2 घण्टे)

2.5 सामयिक परख एवं परीक्षाएँ :–

(अ) परीक्षा का प्रकार :–

2.5.1 सम्बन्धित सत्र में विभागीय पंचाग में प्रदत्त निर्देशानुस। विषय की तीन सामयिक परखें होगी, लेकिन तीसरी स। परख के स्थान पर दो बार लिखित गृहकार्य का मूल्या। किया जायेगा।

2.5.2 गृहकार्य के मूल्याकंन को संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2.5.3 सत्र में विभागीय निर्देशानुसार निम्न परीक्षाएँ होगी :–

(क) अर्द्धवार्षिक परीक्षा (समान परीक्षा योजना द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों के आधार पर होगी)

(ख) वार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के बाद आवश्यकता होने पर पूरक परीक्षा अष्टम बोर्ड द्वारा आयोजित होगी।

2.6 परीक्षा परिणामों की घोषणा –

2.6.1 संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक के प्रगति पत्र अभिभावको को विद्यालय में बुलाकर दिये जायेंगे।

2.6.2 अष्टम बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा निर्दिष्ट तिथि को अष्टम बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2.6.3 अष्टम बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं पूरक परीक्षा परिणाम दैनिक समाचार पत्रों में अष्टम बोर्ड द्वारा प्रकाशित करवाया जायेगा।

2.6.4 प्रत्येक अंकतालिका, प्रमाण–पत्र सहित पर अष्टम बोर्ड के अध्यक्ष/संयोजक के हस्ताक्षर किए जायेंगे।

2.6.5 संस्था प्रधान द्वारा वार्षिक परीक्षा पश्चात् प्रगति पत्र व प्रमाण–पत्र सात दिवस में आवश्यक रूप से परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

2.7 पूर्णांक –

कक्षा 8 के विभिन्न विषयों की परख एवं परीक्षाओं के पूर्णांक परिशिष्ट–ग (1) मूल्यांकन योजना अनुसार होंगे।

2.8 सत्रांक गणना –

हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी एवं संस्कृत में तीनों परखों व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 प्रतिशत अंकभार एवं

कार्यानुभव, कलाशिक्षा व स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों के प्राप्तांको का 60 प्रतिशत अंकभार देकर उसकी गणना की जायेगी।

2.8.1 मूक बधिर छात्र/छात्राऐं जो नियमित विद्यालयों में अध्ययनरत है, के सत्रांक की गणना अर्द्धवार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा पूर्णाकों में मौखिक के पूर्णांक जोड़कर प्राप्तांक प्रदत्त किये जाऐं एवं तदनुरूप सत्रांक गणना की जायेगी।

2.8.2 सत्रांक को आगामी पूर्णांकित संख्या में लिखा जायेगा अर्थात प्राप्तांक 7.1, 7.4, 7.6 आदि होने पर पूर्णांकित संख्या 8 में परिवर्तित किया जायेगा।

2.9 उत्तीर्णता नियम –

2.9.1 परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए वार्षिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा।

2.9.2 परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा एवं वार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 20 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

2.9.3 वार्षिक परीक्षा में किसी विषय में प्राप्तांक यदि भिन्न संख्या में हो तो उसे आगामी पूर्णांक में परिवर्तित किया जायेगा।

2.10 कृपांक –

2.10.1 कृपांक अधिकतम 2 विषयों में देय होंगे।

2.10.2 किसी एक विषय में पूर्णांक के अधिकतम 6 प्रतिशत कृपांक के रूप में दिए जा सकेंगे।

2.10.3 यदि विद्यार्थी 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है तो उसे दोनों विषयों में अधिकतम 6 अंक कृपांक लाभ किसी भी अनुपात में दिया सकता है। यथा 1+5, 2+4, 3+3 आदि।

2.10.4 कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण एवं व्यवहार उत्तम होना चाहिए।

2.11 श्रेणी निर्धारण –

2.11.1 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी मानी जायेगी।

2.11.2 48 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक पर द्वितीय श्रेणी मानी जायेगी।

2.11.3 36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक पर तृतीय श्रेणी मानी जायेगी।

2.11.4 75 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर विषय/विषयों में विशेष योग्यता मानी जायेगी।

2.11.5 श्रेणी का निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांको के वृहद् योग के आधार पर होगा। श्रेणी निर्धारण में कृपांक नहीं जोड़े जायेंगे।

2.11.6 पूरक परीक्षा में विषय के न्यूनतम प्राप्तांक जोड़कर ही प्रतिशत अंक निर्धारित किए जाऐंगे तथा श्रेणी के स्थान पर पूरक अंकित किया जायेगा।

2.12 पूरक परीक्षा नियम –

2.12.1 **पात्रता** :– पूरक परीक्षा अधिकतम 2 विषयों में दी जा सकेगी इस प्रावधान में सम्बन्धित विषयों हेतु न्यूनतम अंको की बाध्यता नहीं है। लेकिन उसके द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांको का योग 36 प्रतिशत या इससे अधिक होना आवश्यक होगा उदाहरणार्थ कक्षा 8 के 9 विषयों का पूर्णांक 9 X 100 = 900 अंक 36 प्रतिशत अंक के अधार पर आवश्यक अंक – 9 X 36 = 324 अंक न्यूनतम होना आवश्यक है।

2.12.2 पूरक परीक्षा का आयोजन विभागीय पंचांग अनुसार किया जायेगा।

2.13 पूर्णांक :–

प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश होगा।

2.14 पूरक परीक्षा उत्तीर्णता –

(अ) पूरक परीक्षा में वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने पूरक विषय में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(ब) पूरक परीक्षा में सत्रांक नहीं जोड़े जायेंगे।

(स) पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक देय नहीं होंगे।

2.15 पूरक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण –

पूरक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण आवश्यकतानुसार अष्टम बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

2.16 पूरक परीक्षा शुल्क –

पूरक परीक्षा शुल्क 20.00 रूपये प्रति छात्र होगी।

2.17 परीक्षा आयोजन :–

अष्टम बोर्ड परीक्षा विभागीय पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी।

2.18 पुनः परीक्षा –

निम्न परिस्थितियों में परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा –

2.18.1 रूग्णतावश परीक्षा देने में समर्थ नहीं होने पर रूग्णता प्रमाणपत्र के आधार पर।

2.18.2 युक्तियुक्त कारण से परीक्षा देने में समर्थ नहीं होने पर संस्था प्रधान की अनुशंसा पर पुनः परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा। परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति के बाद 7 दिवस की अवधि में कारण सहित प्रार्थना पत्र संस्था प्रधान एवं केन्द्राधीक्षक से अग्रेषित कराकर अध्यक्ष, अष्टम बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा तभी वह उन विषय/विषयों में पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।

2.18.3 पुनः परीक्षा, पूरक परीक्षा के साथ आयोजित की जाएगी एवं प्रश्न पत्र पूरक परीक्षा के अनुरूप ही होंगे।

2.18.4 पुनः परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी को किसी भी विषय में कृपांक का लाभ देय नहीं होगा, चाहे वह उन विषयों में पुनः परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।

2.18.5 पुनः परीक्षा घोषित विषयों में परीक्षार्थी को सत्रांक का लाभ देय नहीं होगा।

2.18.6 श्रेणी का निर्धारण वार्षिक परीक्षा पश्चात् दी जाने वाली पुनः परीक्षा के प्राप्त अंको के आधार पर ही किया जायेगा।

2.18.7 पुनः परीक्षा शुल्क 10 रूपये प्रति विषय प्रति छात्र होगा।

2.19 परीक्षा परिणाम :–

विभागीय पंचांग में निर्दिष्ट तिथि पर परीक्षा परिणाम, बोर्ड अध्यक्ष/संयोजक द्वारा घोषित किया जायेगा।

2.20 अंकों की पुनगर्णना –

2.20.1 पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन नहीं होगा।

2.20.2 पुनर्गणना आवेदन पत्र अभिभावक/परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् 10 दिन की अवधि में निर्धारित शुल्क 20.00 रू0 प्रति विषय के साथ संस्था प्रधान को प्रस्तुत करनी होगी। संस्था प्रधान आवेदन पत्र अष्टम बोर्ड को प्रेषित करेंगे।

2.20.3 पुनर्गणना में निम्नांकित जांच होगी –

(1) सभी प्रश्न जांचे गये हैं या नहीं।

(2) अंको का योग सही है या नहीं।

2.20.4 किसी भी स्थिति में वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाऐं अभिभावक/परीक्षार्थी को नहीं दिखाई जायेगी।

2.20.5 पुर्नगणना हेतु अध्यक्ष अष्टम बोर्ड विषयवार तीन सदस्यों की समिति गठित करेगा। समिति में एक प्राचार्य व0 उपा0 एवं एक विषय विशेषज्ञ का होना आवश्यक होगा। समिति पुर्नगणना से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन करेगी। जैसे मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल से पुनर्गणना की उत्तर पुस्तिका निकालना, उसका अवलोकन कर पुनः गणना करना तथा पुनः गणना के बाद प्राप्त अंको की सूची बनाना आदि।

2.21 अन्य परीक्षा नियम –

2.21.1 अध्यक्ष, अष्टम बोर्ड किसी परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका गुम होने/चोरी होने/प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने की स्थिति में उक्त विषयों में परीक्षार्थी को औसत अंक भार प्रदान कर परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। औसत अंक भार परीक्षार्थी के शेष विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर निकाला जायेगा।

2.21.2 शारीरिक अयोग्यता के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ – दृष्टि बाधित विकलांग परीक्षार्थियों को कक्षा 7 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में से श्रुतिलेखक के रूप में 8वीं परीक्षा के दौरान उपलब्ध करवाए जा सकेंगे जिसकी व्यवस्था स्वयं परीक्षार्थी को करनी होगी।

दृष्टि बाधित विकलांग परीक्षार्थी के लिए मानचित्र/ग्राफ आदि श्रुतिलेखक के माध्यम से हल करना होगा अन्य प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

आठवीं की परीक्षा के दौरान हाथ में फ्रैक्चर होने से लिखने में असमर्थ परीक्षार्थी को चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने वाले परीक्षार्थी का आवक्ष चित्र एवं राजकीय विद्यालय में कक्षा 7 तक अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित करवाकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्राधीक्षक इसे अपने रेकॉर्ड में रखेंगे।

2.21.3 सूरजमुखी परीक्षार्थी को निर्धारित समयावधि से आधा घण्टा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

2.21.4 अंकतालिका की द्वितीय प्रति जारी करने का इन्द्राज स्थायी अभिलेख में किया जाए। द्वितीय प्रति एवं इससे अधिक बार डुप्लिकेट अंक तालिका, शपथ पत्र, नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करने पर दी जाये तथा इसके लिये 20.00 रू0 शुल्क लिया जायेगा। यदि प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका अलग–अलग हो तो प्रत्येक का शुल्क 20.00 रू0 होगा एवं दोनों एक साथ होने पर केवल 20.00 रू0 लिए जायेंगे।

2.21.5 परीक्षा केन्द्राधीक्षक, परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में सादे कागज पर मय परीक्षार्थी का आवक्ष चित्र, आवेदन पत्र के शेष भाग से मिलान कर एवं सन्तुष्ट होकर 05.00 रू0 शुल्क लेकर डुप्लिकेट प्रवेश पत्र जारी कर सकेंगे।

2.21.6 यथासम्भव कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र मय फोटो कम्प्यूटराइज्ड दिया जायेगा।

2.21.7 यथासम्भव कम्प्यूटराइज्ड काम में ओ.एम.आर. शीट्स के माध्यम से कार्य सम्पन्न करवाया जायेगा।

2.21.8 प्रयुक्त उत्तरपुस्तिका को आगामी एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जावे एवं न्यायालय वाद/विभागीय जांच की स्थिति में वाद निस्तारण तक सुरक्षित रखा जायेगा।

2.21.9 अवधिपार प्रयुक्त उ.पु. का जी एफ एण्ड आर के प्रावधानों के अनुरूप निस्तारण किया जायेगा।

2.22 स्वयंपाठी परीक्षार्थी –

2.22.1 स्वयंपाठी के रूप में बैठने वाले परीक्षार्थी ने पूर्व में किसी विद्यालय में अध्ययन किया है तो वहां के स्थानान्तरण प्रमाण

पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करेगा। स्वयंपाठी परीक्षार्थी से कोई अग्रेषण शुल्क नहीं ली जायेगी।

2.22.2 स्वयंपाठी के रूप में बैठने वाले परीक्षार्थी ने कहीं भी अध्ययन नहीं किया है तो किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/पब्लिक नोटेरी द्वारा इस आशय का प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसी राजकीय, मान्यता प्राप्त अनुदानित एवं गैर अनुदानित संस्था में अध्ययन नहीं किया है। इस शपथ पत्र में जन्म तिथि एवं माता पिता के नाम का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि विद्यार्थी अवयस्क हो तो उसके वैधानिक संरक्षक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। किसी प्रकार के तथ्य छिपाने की स्थिति में ऐसे परीक्षार्थी या वैधानिक संरक्षक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा आवेदन पत्र भी निरस्त किया जा सकेगा।

2.22.3 स्वयंपाठी ने जिस किसी कक्षा में अन्तिम बार अध्ययन किया है तथा कक्षा 8 जिसमें वह प्रविष्ट होना चाहता है उसके बीच में इतनी समय अवधि का अन्तर अवश्य होना चाहिए कि वह यदि नियमित रूप से विद्यालय में अध्ययन करता तो कक्षा 8 में होता जैसे कक्षा 7 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण करने पर आगामी वर्ष की परीक्षा में कक्षा 8 में स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा दे सकेगा। स्वयंपाठी परीक्षार्थी यदि सेवारत कर्मचारी हो तो उसके लिए भी यह आवश्यक है कि जहाँ वह कार्यरत है, उस कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि वह वेतनभोगी कर्मचारी है। प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

2.22.4 स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र किसी भी राजकीय संस्कृत विद्यालय (जो उच्च प्राथमिक स्तर से कम नहीं हो) में जमा करवा सकेंगे। परीक्षार्थी स्वयं संस्था प्रधान के सामने उपस्थित होकर आवेदन पत्र की आवश्यक पूर्तियाँ करेगा।

प्रधानाध्यापक इस प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार कर उनकी प्रारम्भिक जांच के उपरान्त निर्धारित अवधि में अध्यक्ष, अष्टम बोर्ड परीक्षा, सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करेंगे। अध्यक्ष अष्टम बोर्ड/सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों की गहनता से जाँच कर, आवेदन पत्र की उपयुक्तत्ता पर अनुमति जारी करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र राजकीय विद्यालय में ही निर्धारित करेंगे।

2.22.5 बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा होगी परन्तु बालकों को बालिका विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) में यह सुविधा नहीं होगी।

2.22.6 सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्रों की स्वयं नियमानुसार जांच करेंगे तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

2.22.7 स्वयंपाठी छात्रों के उत्तीर्णता नियम –

(क) स्वयंपाठी छात्रों के हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत के प्रश्न पत्र 80 अंक तथा कार्यानुभव, कलाशिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के प्रश्न पत्र 40 अंक के होंगे। किन्तु प्राप्ताकों में आनुपातिक अंक हिन्दी, अंग्रेंजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत में 20 अंक के हिसाब से तथा कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 60 अंक के हिसाब से गणना कर सत्रांक के रूप में जोड़े जाएगें। इस प्रकार पूर्णांक 80+20 = 100 एवं 40+60= 100 में से प्राप्तांक परीक्षा परिणाम की गणना के लिए उपयोग में लिए जाएंगें।

(ख) स्वयंपाठी छात्र भी कृपांक के पात्र होंगे इन्हें भी एक विषय में पूर्णांकों अधिकतम 6 प्रतिशत अंक तथा 2 विषयों में कुल 6 अंक का किसी भी अनुपात में कृपांक देय है। स्वयंपाठी परीक्षार्थी भी नियमित परीक्षार्थियों के अनुरूप अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा योग्य मानें जाऐंगे।

(ग) कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण स्वयंपाठी परीक्षार्थी नियमानुसार अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे।

2.23 परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग :–

परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति व इस पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु पंचम भाग का अवलोकन करें।

★★★

पंचम भाग

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग
(गृह परीक्षा एवं अष्टम बोर्ड)

(अ) निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माने जावेंगे –

(1) परीक्षा कक्ष में किसी अभ्यर्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना।

(2) परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी या अन्य अवांछित सामग्री अपने पास, मुँह में, वस्त्रों में, डेक्स में, उत्तर पुस्तिका में या डेक्स के आस पास रखना।

(3) उत्तर पुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना, उत्तर पुस्तिका फाड़ना, जलाना या उत्तर सामग्री में अपशब्द लिखना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना, परीक्षा कक्ष में अनुचित आचरण करना।

(ब) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया –

(1) सम्बन्धित वीक्षक, पर्यवेक्षक, केन्द्राधीक्षक, केन्द्राधीक्षक द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उड़नदस्ते के सदस्य परीक्षार्थी की तलाशी ले सकेगें।

(2) परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका तथा सन्देहास्पद सामग्री उससे ले ली जायेगी। परीक्षार्थी से उसका स्पष्टीकरण लिखवाया जाकर प्राप्त अनुचित सामग्री पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे। तदुपरान्त परीक्षार्थी को शेष बचे प्रश्नों को हल करने के लिए दूसरी उत्तर पुस्तिका दे दी जायेगी तथा उस पर "**दूसरी उत्तर पुस्तिका**" अंकित कर दिया जायेगा।

(3) परीक्षा के बाद दोनों उत्तर पुस्तिकाओं व भाग "अ" के प्रश्न पत्र को अलग कर लिया जायेगा तथा अन्य उत्तर पुस्तिकाओं के साथ अंकन कार्य नहीं करवाया जायेगा।

(4) यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो वीक्षक आस–पास

बैठे हुए परीक्षार्थी से उस पर हस्ताक्षर करवा ले तथा स्वयं उसे प्रमाणित कर देवे।

(5) उस सामग्री की वीक्षक, परीक्षा प्रभारी एवं केन्द्राधीक्षक के प्रमाणीकरण के साथ उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कर गृह परीक्षा में, विद्यालय स्तर पर गठित परीक्षा समिति को तथा अष्टम बोर्ड परीक्षा में, संभाग स्तर पर गठित परीक्षा समिति को परीक्षा के अन्तिम दिन भिजवा दी जायेगी।

(6) अनुचित साधन प्रयुक्त करने वाले समस्त प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी :—

(क) परीक्षार्थी की दोनों उत्तर पुस्तिकायें।

(ख) वह सामग्री जिसको अनुचित साधनों के बतौर लाया गया।

(ग) विद्यार्थी, वीक्षक, पर्यवेक्षक व केन्द्राधीक्षक के बयान।

(घ) केन्द्राधीक्षक की टिप्पणी।

(ड.) सम्बन्धित विषय के प्रश्न पत्र की प्रति।

(य) अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो केन्द्राधीक्षक आवश्यक समझें।

(स) अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में दण्ड देने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :—

(1) अनुचित साधन प्रयुक्त करने वाले प्रकरणों के मामलों पर विचार के लिए निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया जायेगा :—

(अ) वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका विद्यालयों में गृह परीक्षा हेतु — (विद्यालय स्तर पर समिति का गठन)

(क) सम्बन्धित संस्था प्रधान

(ख) परीक्षा प्रभारी (सम्बन्धित संस्था)

(ग) सम्बन्धित वीक्षक

(ब) अष्टम बोर्ड परीक्षा हेतु — (संभाग स्तर पर समिति का गठन)

(क) प्राचार्य स्तर का एक अधिकारी — संयोजक

(ख) अष्टम बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि

(ग) उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक

उक्त समिति का गठन अध्यक्ष, अष्टम बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(स) उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों की गृह परीक्षाओं हेतु –
(संकुल स्तर पर)
क) सम्बन्धित संकुल प्रभारी।
(ख) संकुल प्रभारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (व.अध्यापक–I/II ग्रेड)।
(ग) संबन्धित संस्था प्रधान।

(2) उक्त समितियाँ निर्णय लेने में सक्षम होगी। समिति द्वारा अनिर्णय की स्थिति में संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(द) दण्ड व्यवस्था :–

1. प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार अपनायी जायेगी। इसमें निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :–

(क) अनुचित सामग्री लायी गयी, किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया।

(ख) अनुचित सामग्री लायी गयी, किन्तु उसके उपयोग का प्रयत्न किया गया।

(ग) अनुचित सामग्री लायी गयी तथा उसका उपयोग किया गया।

(घ) अनुचित सामग्री में प्रश्न पत्र से सम्बन्धित प्रकरण नहीं पाये गये।

(ड़) अनुचित सामग्री प्रयुक्त करने वाले छात्र का व्यवहार आपत्तिजनक था।

2 दण्ड निर्धारण के लिए समिति पूर्ण रूप से सक्षम होगी। प्रकरण की गम्भीरता के अनुरूप समिति निम्न में से कोई एक दण्ड दे सकेगी :–

(क) जिस विषय में ये पाया जाए की नकल की सामग्री लाई तो गई थी, परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया, ऐसे प्रकरणों में प्राप्तांको में से 10 प्रतिशत अंक कम कर दिये जायेगें।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तर पुस्तिका को निरस्त कर दुसरी उत्तर पुस्तिका के आधार पर जाँच की जायेगी।

(ग) दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(घ) परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(ड़) जहाँ विस्तृत पैमाने पर नकल की गई हो, वहां पर नकल जिस प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित हो, वह परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(च) जहाँ कहीं भी ऐसे दोष में किसी/किन्हीं शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होना पाया जाने पर उनके विरूद्व तत्काल अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही, सक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जाये।

(य) अन्य नियम :–

(अ) किसी भी परीक्षार्थी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह केन्द्राध्यक्ष अथवा उक्त समिति के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व कोई वैधानिक परामर्शदाता/एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा करा सकें।

(ब) यदि परीक्षा के समय का अथवा उससे सम्बन्धित कोई प्रकरण उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत न आए तो भी संस्था प्रधान यदि आवश्यक समझे तो उस प्रकरण में इन नियमों में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

★★★

परिशिष्ट 'क'

मूल्यांकन योजना
विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 1 व 2)

विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 1										
क्र. स.	विषय	अर्द्धवार्षिक			वार्षिक			सर्व योग		
		मौ.	लि.	योग	मौ.	लि.	योग	मौ.	लि.	योग
1	हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200
2	संस्कृत	70	30	100	70	30	100	140	60	200
3	गणित	70	30	100	70	30	100	140	60	200
4	अंग्रेजी	35	15	50	35	15	50	70	30	100
			प्रथम मूल्यांकन		द्वितीय मूल्यांकन			सर्वयोग		
5	पर्यावरण		50		50			100		
6	कार्यानुभव		25		25			50		
7	कला शिक्षा		25		25			50		
8	स्वा.शिक्षा		50		50			100		

विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 2										
क्र. स.	विषय	अर्द्ध–वार्षिक			वार्षिक			सर्व योग		
		मौ.	लि.	योग	मौ.	लि.	योग	मौ.	लि.	योग
1	हिन्दी	50	50	100	50	50	100	100	100	200
2	संस्कृत	50	50	100	50	50	100	100	100	200
3	गणित	50	50	100	50	50	100	100	100	200
4	अंग्रेजी	25	25	50	25	25	50	50	50	100
			प्रथम मूल्यांकन		द्वितीय मूल्यांकन			सर्वयोग		
5	पर्यावरण		50		50			100		
6	कार्यानुभव		25		25			50		
7	कला शिक्षा		25		25			50		
8	स्वा.शिक्षा		50		50			100		

नोट : 1. क्रमांक 5 से 8 तक के विषयों का मूल्यांकन मौखिक/अवलोकन/क्रियात्मक कार्य के आधार पर होगा तथा इन विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार "ग्रेड" अंकित किया जायेगा :–

अंक	ग्रेड
80 से अधिक	A
61 से 80 तक	B
41 से 60 तक	C
40 तक	D

2. प्रत्येक परीक्षा के अन्तर्गत उन्हीं इकाईयों, उप इकाईयों को सम्मिलित किया जावे जिनका उस समयावधि में अध्ययन कराया गया है अर्थात् वार्षिक परीक्षा में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद पढाई गई इकाईयों को ही सम्मिलित किया जायेगा।

3. कक्षा 1 से 2 तक सभी विषयों की परीक्षा में विद्यालय स्तर पर ही (स्लेट, पैंन्सिल, श्यामपट्ट, छायाचित्र एवं कागज का उपयोग करते हुए) आयोजित करावें। प्रश्न पत्रों का मुद्रण नहीं कराया जायेगा।

परिशिष्ट 'ख'

मूल्यांकन योजना

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 3 से 5)

क्र. स.	परीक्षा का प्रकार	सामयिक परीक्षा		लिखित जाँच कार्य		अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन			वार्षिक मूल्यांकन			सर्व योग
	विषय	अंक		अंक		अंक			अंक			अंक
		I	II	I	II	मौ.	लि.	योग	मौ.	लि.	योग	
1	हिन्दी	10	10	5	5	20	50	70	40	60	100	200
2	संस्कृत	10	10	5	5	20	50	70	40	60	100	200
3	अंग्रेजी	5	5	3	2	10	25	35	20	30	50	100
4	गणित	10	10	5	5	20	50	70	40	60	100	200
5	पर्यावरण अध्ययन	10	10	5	5	20	50	70	40	60	100	200
		प्रथम मूल्यांकन		द्वितीय मूल्यांकन		तृतीय मूल्यांकन			चतुर्थ मूल्यांकन			पंचम मूल्यांकन		योग
6	कार्यानुभव	20		20		20			20			20		100
7	कलाशिक्षा	20		20		20			20			20		100
8	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	20		20		20			20			20		100

नोट :—

1. प्रश्न पत्र का 'अ' भाग 30 मिनट एवं 'ब' भाग 1½ घंटे का होगा।
2. क्रमांक 6 से 8 तक के विषयों में विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन मौखिक/अवलोकन, क्रियात्मक कार्य के आधार पर होगा। इन विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर स्तरांकन (ग्रेडिंग) किया जायेगा।
3. अर्द्धवार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम का समावेश होगा। वार्षिक परीक्षा में शेष 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम रहेगा। किन्तु वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का 30 प्रतिशत तथा वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत अंक भार रखा जायेगा।

मूल्यांकन योजना

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 6 से 7)

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार	प्रथम परख			द्वितीय परख			तृतीय परख			अर्द्धवार्षिक परीक्षा			वार्षिक परीक्षा			सर्व योग
		लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक / प्रायो शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक प्रोजेक्ट प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित गृहकार्य (शिक्षक द्वारा)	स्वमूल्यांकन / सहपाठी / समूह द्वारा	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा) एवं गतिविधि आधारित	गतिवधि मौखिक / प्रोजेक्ट / प्रायोगिक (सहपाठी समूह द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा) एवं गतिविधि आधारित	गतिविधि मौखिक / प्रोजेक्ट / प्रायोगिक (सहपाठी समूह द्वारा)	योग	
	विषय	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक
1	हिन्दी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 50	20	70	θ 70	30	100	200
2	अंग्रेजी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 50	20	70	θ 70	30	100	200
3	संस्कृत	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 50	20	70	θ 70	30	100	200
4	गणित	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 50	20	70	θ 70	30	100	200
5	विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 50	20	70	θ 70	30	100	200
6	सा० विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 50	20	70	θ 70	30	100	200
7	कार्यानुभव	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 25 * 25	20	70	θ 35 * 35	30	100	200
8	कला शिक्षा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 25 * 25	20	70	θ 35 * 35	30	100	200
9	स्वा० एवं शा० शिक्षा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	θ 25 * 25	20	70	θ 35 * 35	30	100	200

निर्देश :— अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन / सहपाठी समूह द्वारा मूल्यांकन गतिविधियों के लिए सामयिक परख में दिए गए बिन्दुओं के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

– शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी स्वयं/सहपाठी समूह द्वारा–मौखिक/गतिविधि/प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/समुदाय से अन्तः क्रिया/अधिगम प्रकिया/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन पारदर्शिता के साथ प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार किया जायेगा।

ϕ लिखित परीक्षा शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्रों के माध्यम से ली जायेगी।

* अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक दोनो परीक्षा में कार्यानुभव/कलाशिक्षा/स्वा.एवं शा. शिक्षा विषयों में शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित मूल्याकंन किया जायेगी।

– अर्द्धवार्षिक (20 अंक) एवं वार्षिक (30 अंक) परीक्षा में समस्त विषयों में गतिविधि आधारित मूल्यांकन सहपाठी द्वारा किया जायेगा।

नोट :–1. प्रश्न पत्र का 'अ' भाग 30 मिनट एवं 'ब' भाग 2 घंटे का होगा।

2. अर्द्धवार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम का समावेश होगा। वार्षिक परीक्षा में शेष 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम रहेगा। किन्तु वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का 30 प्रतिशत तथा वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत अंक भार रखा जायेगा।

3. परीक्षा परिणाम क्र सं. 1 से 9 तक सम्पूर्ण विषयों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

परिशिष्ट 'ग(1)'

मूल्याकंन योजना
विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 8 के लिए)

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार	प्रथम परख			द्वितीय परख			तृतीय परख			अर्द्धवार्षिक परीक्षा				वार्षिक परीक्षा (संभाग स्तरीय)		
		लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक/ प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित गृहकार्य (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक/ प्रोजेक्ट प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	स्व मूल्यांकन/ सहपाठी/ समूह द्वारा	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा) एवं गतिविधि आधारित	गतिवधि मौखिक/ प्रोजेक्ट/ प्रायोगिक (सहपाठी समूह द्वारा)	योग	अर्द्ध वार्षिक तक का योग	अर्द्ध वार्षिक तक के प्राप्ताक का 20 प्रतिशत	लिखित	योग
	विषय	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक
1	हिन्दी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϕ 50	20	70	100	20	80	100
2	अंग्रेजी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϕ 50	20	70	100	20	80	100
3	संस्कृत	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϕ 50	20	70	100	20	80	100

4	गणित	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϑ 50	20	70	100	20	80	100
5	विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϑ 50	20	70	100	20	80	100
6	सा० विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϑ 50	20	70	100	20	80	100
7	कार्यानुभव	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϑ 25 * 25	20	70	100	# 60	40	100
8	कला शिक्षा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϑ25 *25	20	70	100	# 60	40	100
9	स्वा० एवं शा० शिक्षा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	ϑ 25 * 25	20	70	100	# 60	40	100

निर्देश :– अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन/सहपाठी समूह द्वारा मूल्यांकन गतिविधियों के लिए सामयिक परख में दिए गए बिन्दुओं के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

– शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी स्वयं/सहपाठी समूह द्वारा–गतिविधि मौखिक /प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/समुदाय से अन्तः क्रिया/अधिगम प्रकिया/अन्य शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन अर्द्धवार्षिक परीक्षा में पारदर्शिता के साथ प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार किया जायेगा।

ϑ लिखित परीक्षा शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्रों के माध्यम से ली जायेगी।

* अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक दोनो परीक्षा में कार्यानुभव/कलाशिक्षा/स्वा.एवं शा. शिक्षा विषयों में शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा।

– अर्द्धवार्षिक (20 अंक) परीक्षा में समस्त विषयों में गतिविधि आधारित मूल्यांकन सहपाठी द्वारा किया जायेगा।

\# कार्यानुभव/कला शिक्षा/ स्वा.एव शा.शिक्षा विषयों मे अर्द्धवार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांक (100 अंक) में से 60 प्रतिशत कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में जोडे जाऐगे। तथा इन विषयों में अष्टम बोर्ड स्तर पर 40 अंक की लिखित परीक्षा ली जायेगी।

– कक्षा 8 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में अर्द्धवार्षिक तक के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत वार्षिक परीक्षा में जोडा जायेगी।

नोट :– 1. प्रश्न पत्र का भाग 'अ' 30 मिनट एवं भाग 'ब' 2 घंटे का होगा।
2. परीक्षा परिणाम क्र सं. 1 से 9 तक सम्पूर्ण विषयों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

मूल्यांकन योजना
विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 9 के लिए)

क्रं. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्धवार्षिक परीक्षा				वार्षिक परीक्षा				सर्व योग
		I	II	III	योग	I पत्र	II पत्र	प्रायो	योग	I पत्र	II पत्र	प्रायो	योग	
1	हिन्दी	5	5	5	15	35	..	...	35	50	..	..	50	100
2	अंग्रेजी	5	5	5	15	35	..	...	35	50	..	..	50	100
3	संस्कृत (प्रथम) व्याकरण शास्त्र संस्कृत (द्वितीय) (पद्यकाव्य, छंद एवं कोष) संस्कृत (तृतीय) (गद्यकाव्य एवं रचना)	10 5 5	10 5 5	10 5 5	30 15 15	70 35 35	... ...	... ...	70 35 35	100 50 50	.. ..	... ...	100 50 50	200 100 100
4	गणित (दो पत्र)	10	10	10	30	35	35	..	70	50	50	..	100	200
5	विज्ञान (दो पत्र)	10	10	10	30	35	35	..	70	50	50	..	100	200
6	समा.विज्ञान (दो पत्र)	10	10	10	30	35	35	..	70	50	50	..	100	200

7	पर्यावरण शिक्षा	10	10	10	30	70	...	..	70	100	...	..	100	200
8	कम्प्यूटर साक्षरता	5	5	5	15	50	....	35	85	60	..	40	100	200
9	स्वा. एवं शा. शिक्षा	5	5	5	15	50	....	35	85	60	..	40	100	200
10	कला शिक्षा	5	5	5	15	25	....	60	85	40	..... .	60	100	200
11	एस.यू.पी.डब्लू	5	5	5	15	25	..... .	60 (शि)	85	40	....	60	100	200

नोट :–

1. प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. (क) वार्षिक परीक्षा में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश होगा।
   (ख) वार्षिक परीक्षा में अर्द्धवार्षिक परीक्षा तक की इकाईयों का 30 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् की इकाईयों का 70 प्रतिशत भार होगा।
   (ग) अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अन्तर्गत उन्हीं इकाईयों को सम्मिलित किया जावे जिनका समयावधि में अध्ययन कराया जाना निर्धारित है।
3. प्रत्येक प्रश्न पत्र ढाई घण्टे समयावधि का होगा। परन्तु संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र तीन घण्टे के होंगे।
4. क्रम सं. 10 एवं 11 के विषयों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा।
5. कम्प्यूटर साक्षरता, स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोडे जायेंगे, किन्तु इन विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुत्तीर्ण की स्थिति में पूरक परीक्षा का प्रावधान होगा। सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के संयुक्त अंक उत्तीर्ण हेतु माने जायेंगे।
6. एस.यू.पी.डब्लू. तथा कला शिक्षा विषयों की परीक्षा समेकित रूप से एक समूह विषय के रूप में एक ही दिन होगी। समूह के प्रत्येक विषय की सैद्वान्तिक परीक्षा हेतु पृथक्–पृथक् प्रश्न पत्र होगा और एक ही दिन परीक्षा आयोजन के साथ ही प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की समायावधि एक घण्टा होगी। इन विषयों का अंकतालिका में ग्रेडिंग का अंकन होगा।

मूल्यांकन योजना
विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 10 के लिए)

क्रं. सं.	परीक्षा का प्रकार	सामयिक परीक्षा				अर्द्धवार्षिक परीक्षा			
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग
	विषय	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक	अंक
1	हिन्दी	5	5	5	15	50	...	...	50
2	अंग्रेजी	5	5	5	15	50	...	...	50
3	संस्कृत (प्रथम) व्याकरण शास्त्र	10	10	10	30	100	...	....	100
	संस्कृत(द्वितीय) पद्य काव्य, छन्द एवं कोष	5	5	5	15	50	...	...	50
	संस्कृत(तृतीय) गद्य काव्य एवं रचना	5	5	5	15	50	...	...	50
4	गणित	10	10	10	30	50	50	...	100
5	विज्ञान	10	10	10	30	50	50	...	100
6	स.विज्ञान	10	10	10	30	50	50	...	100
7	स्वा.एवं शा शिक्षा	5	5	5	15	60	.....	40	100
8	कम्प्यूटर साक्षरता	5	5	5	15	60	.....	40	100
9 (अ)	कला शिक्षा	5	5	5	15	40	.....	60	100
9 (ब)	एस.यू.पी.डब्लू	5	5	5	15	40	.....	60	100

नोट :

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र ढाई घण्टे समयावधि का होगा। परन्तु संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र तीन घण्टे के होंगे।
2. अर्द्धवार्षिक परीक्षा में बोर्ड द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. क्रमांक 9(अ) व 9(ब) के विषयों का विद्यालय स्तर पर सतत मूल्यांकन किया जायेगा।
4. एस.यू.पी.डब्लू. (सैद्धान्तिक) तथा कला शिक्षा (सैद्धान्तिक) समूह विषय के रूप में दोंनों का प्रश्न पत्र एक ही दिन होगा। समूह के प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु पृथक्–पृथक् प्रश्न पत्र होगा और एक ही दिन परीक्षा आयोजन के साथ ही प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की समयावधि एक घण्टा होगी।

मूल्यांकन

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 11 के लिए)

क्रं. सं.	परीक्षा का प्रकार	सामयिक				अर्द्धवार्षिक परीक्षा				वार्षिक परीक्षा				सर्व योग
		I	II	III	योग	I	II	प्रायो.	योग	I	II	प्रायो.	योग	
वर्ग–1 अनिवार्य विषय														
1.	हिन्दी (एक पत्र)	10	10	10	30	70	...	...	70	100	...	....	100	200
2.	अंग्रेजी (एक पत्र)	10	10	10	30	70	...	...	70	100	...	....	100	200
3.	पर्यावरण शिक्षा	10	10	10	30	70	...	...	70	100	...	....	100	200
4.	कम्प्यूटर विज्ञान(अति. अनिवार्य)	10	10	10	30	40	...	30	70	60	.....	40	100	200
1.	संस्कृत वाङ्मयः (दो पत्र)	10	10	10	30	60	60	...	120	75	75	...	150	300
वर्ग–2 वैकल्पिक विषय														
	वेद वर्ग (क) (1) ऋग्वेद (2) शुक्ल यजुर्वेद (3) कृष्ण यजुर्वेद (4) सामवेद (5) अथर्ववेद उपरोक्त में से कोई एक(दोपत्र)	10	10	10	30	40	40	40	120	50	50	50	150	300

	शस्त्र वर्ग (ख) (1) व्याकरण ख (2) साहित्य (3) पुरोणतिहास (4) धर्मशास्त्र (5) ज्योतिष (प्रायो.)	10 10	10 10	10 10	30 30	60 40	60 40	... 40	120 120	75 50	75 50	... 50	150 150	300 300
	दर्शन वर्ग (1) न्याय दर्शन, (2) वेदान्त दर्शन (3) भीमांसा दर्शन, (4) निम्बार्क दर्शन (5) बल्लभ दर्शन, (6) जैन दर्शन उपरोक्त कोई एक (दो पत्र)	10	10	10	30	60	60	...	120	75	75	...	150	300
वर्ग–3 वैकल्पिक आधुनिक विषय														
1.	हिन्दी सा., अंग्रेजी, सा., राज. विज्ञान, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र,समाजशास्त्र	10	10	10	30	60	60	..	120	75	75	....	150	300
2.	जीव विज्ञान, गृहविज्ञान,भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान (ऐच्छिक)	10	10	10	30	40	40	40	120	50	50	...	150	300

विशेष टिप्पणी :

1. प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

2. प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घण्टे की समयावधि का होगा।

(अ) कक्षा 11 के लिये अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अन्तर्गत उन्हीं इकाइयों को सम्मिलित किया जायेगा जिनका इस समयावधि में अध्ययन कराया जाना निर्धारित है।

(ब) वार्षिक परीक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की इकाइयों को सम्मिलित किया जायेगा परन्तु उनका अंक विभाजन निम्नानुसार होगा :–

(क) अर्द्धवार्षिक परीक्षा तक की निर्धारित इकाई पर अंक भार 25 प्रतिशत।

(ख) अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात् की निर्धारित इकाइयों पर अंक भार 75 प्रतिशत ।

3. पर्यावरण शिक्षा विषय के अंक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोडे जाएगें किन्तु इस विषय में उतीर्ण होना आवश्यक होगा।

4. जीवन कौशल शिक्षा विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर मा.शि. बोर्ड के निर्देशानुसार किया जायेगा।

परिशिष्ट 'द'

मूल्यांकन योजना

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा वरिष्ठोपाध्याय के लिए)

क्रं. सं.	विषय	सत्रमयिक परीक्षा			अर्द्धवार्षिक परीक्षा			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	प्रायोगिक	योग
वर्ग–1								
1	हिन्दी	10	10	10	100	...	...	100
2	अंग्रेजी	10	10	10	100	...	...	100
3.	संस्कृत वाङ्मय	15	15	15	75	75	...	150
वर्ग–2								
1.	वेद वर्ग (ज्योतिष आदि)	15	15	15	50	50	50	150
2.	अन्य वर्ग (साहित्यादि)	15	15	15	75	75	...	150
वर्ग–3								
1	प्रायोगिक वाले विषय	15	15	15	50	50	50	150
2	बिना प्रायोगिक वाले विषय	15	15	15	75	75	...	150

नोट :

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे समयावधि का होगा।
2. प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. अर्द्धवार्षिक परीक्षा योजनानुसार ही आयोजित करें (बोर्ड नियमानुसार)।
4. अर्द्धवार्षिक परीक्षा में बोर्ड द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश होगा।

विशेष टिप्पणी :– कक्षा 9 से 12 तक अंक विभाजन योजना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 (अजमेर) द्वारा परिवर्धित/संशोधित नियम ही मान्य होगें।

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय / प्रवेशिका / उच्च प्राथमि संस्कृत विद्यालय
(स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए)
प्रमाण–पत्र

क्रमांक..... नामांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र / छात्रा .....

..... पिता / पति का नाम श्री .....

माता का नाम ..... जन्म तिथि (अंको में) .....

.....(शब्दों में).....

ने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय / प्रवेशिका / उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय .....

..... ने स्वंयपाठी

परीक्षार्थी के रूप में कक्षा ..... श्रेणी.....से उत्तीर्ण की है।

प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि

हस्ताक्षर (प्रमाण पत्र तैयार कर्ता) हस्ताक्षर

हस्ताक्षर (परीक्षा प्रभारी) संस्था प्रधान
(मय सील)

नोट :–

(1) जन्म तिथि का अंकन प्रस्तुत शपथ पत्र / स्वंयपाठी परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के अनुसार किया गया है।

(2) विद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र अथवा अंकतालिका में की गई प्रविष्टी में हेराफेरी अथवा रद्वोबदल कर देने पर यह दण्डनीय कार्य माना जायेगा तथा दोष की गंभीरता के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए कार्यवाही की जावेगी।

मौखिक परीक्षा अंक विभाजन
कक्षा 3 से 5 तक

क्षेत्र	हिन्दी / संस्कृत		अंग्रेजी	
	अर्द्ध. वा.	वार्षिक	अर्द्ध. वा.	वार्षिक
वार्तालाप / प्रश्नोत्तर	4	8	2	4
अनुवाद अथवा सरलीकरण	4	8	2	4
वाचन	2	4	1	2
श्रुतिलेख	2	4	1	2
कहानी कथन	2	4	1	2
सुक्ति कथन / परिचयन / संकलन	2	4	1	2
कविता	4	8	2	4
योग	**20**	**40**	**10**	**20**

नोट :– अन्य विषयों के लिए अंक विभाजन शिक्षण के उद्देश्यानुसार विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

परिशिष्ट – 'य'

ग्रेडिंग विभाजन (कक्षा 3 से 5 तक)

कक्षा 3 से 5 तक समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में ग्रेडिंग निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–

क्र.सं.	प्राप्तांक	ग्रेड
1.	80 से अधिक	ए
2.	61 से 80 तक	बी
3.	41 से 60 तक	सी

सप्तम भाग

कक्षावार कालांश विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश कक्षा 1 से 2	कालांश कक्षा 3 से 5	कालांश कक्षा 6 से 8	कालांश कक्षा 9 से 12
1.	हिन्दी	09	09	06	बोर्ड नियमानुसार
2.	संस्कृत	09	09	09	
3.	गणित	09	09	06	
4.	पर्यावरण अध्ययन / विज्ञान	06	06	06	
5.	अंग्रेजी	06	06	06	
6.	सामाजिक विज्ञान	—	—	06	
7.	समाजोपयोगी उत्पादन कार्य	03	03	03	
8.	कला शिक्षा	03	03	03	
9.	स्वास्थ्य एवं शारी शिक्षा	03	03	03	
योग		**48**	**48**	**48**	

अष्टम भाग

पाठ्यक्रम विभाजन :—

पाठ्यक्रम में परिवर्तन की संभावना प्रायः रहती है और साथ ही परिवर्तित पाठ्यक्रम समय पर उपलब्ध न होने के कारण पाठ्यक्रम सामग्री का विभाजन परख/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा में प्रष्टव्य सामग्री के अन्तर्गत पाठ्यक्रम को प्रतिशत वार निम्न प्रकार विभाजित किया गया है :—

पाठ्यक्रम विभाजन

कक्षा	परख 1	परख 2	अर्द्धवार्षिक परीक्षा	परख 3	वार्षिक परीक्षा
1 व 2	—	—	पाठ्यक्रम का 60 प्रतिशत	—	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम
3 से 5	10%	30%	60%	गृहकार्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम
6 से 8	20%	40%	60%	गृहकार्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम
9 से 12	20%	40%	70%	90%	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम

नोट :—

1. कक्षा 3 से 8 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के 60 प्रतिशत में से तथा कक्षा 9 व 11 तक 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र तैयार किये जायेंगे तथा 10 व 12 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र तैयार किये जावेंगे।

★★★